उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-5/2017/299/94-स्टा०नि०-2-2017-500(5)/91टी सी

लखनऊ: दिनांक: 24 मई, 2017

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या-2, सन् 1899) की धारा 76-क के खण्ड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-क०नि०-5-3614/11-2008-500(5)/91टी०सी०, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 एवं संख्या-24/2016/889/94-स्टा०नि०-2-2016-500(5)/91टी०सी०, दिनांक 16-09-2016 का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उक्त अधिनियम, 1899 की धारा-56 की उपधारा (1-क) के अधीन मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ, (अध्याय पांच के अधीन कलेक्टर द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली शक्तियों पर नियंत्रण के सिवाय) नीचे अनुसूची के स्तम्भ-1 में उल्लिखित अधीनस्थ राजस्व प्राधिकारियों को स्टाम्प शुल्क के ऐसे विवादों, जिनमें स्तम्भ-2 में उनके समक्ष दर्शायी गयी धनराशि अंतर्ग्रस्त हो, के संबंध में अपनी-अपनी अधिकारिता में प्रत्यायोजित करते हैं। प्रतिबंध यह है कि स्तम्भ-1 में उल्लिखित राजस्व प्राधिकारी, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा उल्लिखित अपनी-अपनी धन संबंधी अधिकारिता के नीचे के स्टाम्प शुल्क के विवादों के मामलें, ग्रहण नहीं करेंगे।

अनुसूची

स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी	**विवाद में अंतर्ग्रस्त स्टाम्प शुल्क का मूल्य**
सदस्य/न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद्	रूपये पच्चीस लाख से अधिक
मण्डलायुक्त	रूपये पच्चीस लाख तक
अपर मण्डलायुक्त/ उपायुक्त स्टाम्प, संबंधित मण्डल/ वृत्त	रूपये दस लाख तक

आज्ञा से,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-5/2017/299/94/स्टा०-नि०-2-2016-500(5)/91 टी सी, दिनांक 24 मई, 2017

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 24-5-2017 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की सौ प्रतियॉ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

संख्या-5/2017/299/94/स्टा०-नि०-2-2016-500(5)/91 टी सी, दिनांक 24 मई, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/शिविर कार्यालय लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ समस्त संबंधितों को उक्त अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराते हुए तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अपर मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त सदस्य/न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश।
9. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।
10. समस्त उपायुक्त स्टाम्प, मण्डल/वृत्त, उत्तर प्रदेश।
11. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
12. गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
13. भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
14. गार्ड फाइल।

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Uttar Pradesh Shasan
Stamp Evam Registration Anubhag-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.5/2017/299/94-S.R.-2-2017-500(5)/91TC, dated 24 May, 2017.

Notification

No. 5/2017/299/94-S.R.-2-2017-500(5)/91TC
Lucknow, Dated 24 May, 2017

In exercise of the powers under clause (b) of section 76-A of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of notifications no. K.N.-5-3614/11-2008-500(5)/91TC Dated 08 December, 2008 and no. 24/2016/889/94-SR-2-2016-500(5)/91TC Dated 16-09-2016, the Governor is pleased to delegate the powers conferred on the Chief Controlling Revenue Authority under sub-section (1-A) of section 56 (except the control over the powers exercisable by the Collector under Chapter v) of the said Act of 1899 to the subordinate revenue authorities mentioned in Column-1 of the Schedule below in respect of disputes of stamp duty involving the amount shown against them in column-2 with respect to their jurisdiction. Provided that the Revenue Authorities mentioned in column 1 shall not entertain cases of disputes of stamp duty below their respective pecuniary jurisdiction as mentioned in column 2 of the said Schedule.

SCHEDULE

Column-1	**Column-2**
Chief Controlling Revenue Authority	**Value of stamp duty involved in the dispute**
Member/ Member Judicial, Board of Revenue.	Exceeding Rupees twenty five lakh
Divisional Commissioner	Up to Rupees twenty five lakh
Additional Divisional Commissioner/ Deputy Commissioner Stamp of Division/circle concerned.	Up to Rupees ten lakh

By Order

Anil Kumar,
Pramukh Sachiv

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।